2016/00040

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटडा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल लाल मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 17/2016

तारीख दायरः–08.08.2016

तारीख निर्णय–24.03.2017

1. श्री मीना पिता श्री रूपा गमेती निवासी वियोल तहसील कोटड़ा।
2. श्री वादिरा पिता श्री लाडुरा गमेती निवासी वियोल तहसील कोटड़ा।
3. श्री मेडिया पिता श्री लाडुरा गमेती निवासी वियोल तहसील कोटड़ा।
4. श्री मेहला पिता श्री लाडुरा गमेती निवासी वियोल तहसील कोटड़ा।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री काला पिता श्री जेथा बुंबडिया निवासी वियोल तहसील कोटड़ा।
2. श्री माणिया पिता श्री जेथा बुंबडिया निवासी वियोल तहसील कोटड़ा।
3. श्री हीरिया पिता श्री जेथा बुंबडिया निवासी वियोल तहसील कोटड़ा।
4. श्री राईसा पिता श्री जेथा बुंबडिया निवासी वियोल तहसील कोटड़ा।
5. श्री पुना पिता श्री कालिया बुंबडिया निवासी वियोल तहसील कोटड़ा।
6. श्री बाबु पिता श्री कालिया बुंबडिया निवासी वियोल तहसील कोटड़ा।
7. श्री लखा पिता श्री कालिया बुंबडिया निवासी वियोल तहसील कोटड़ा।
8. श्री सविया पिता श्री माणिया बुंबडिया निवासी वियोल तहसील कोटड़ा।
9. श्री सुरमा पिता श्री माणिया बुंबडिया निवासी वियोल तहसील कोटड़ा।
10. श्री सका पिता श्री राईसा बुंबडिया निवासी वियोल तहसील कोटड़ा।
11. भूमिधारी जरिये तहसीलदार कोटड़ा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 92 ए आर.टी.एक्ट

वादी की ओर सेः– श्री सुरेश चन्द्र त्रिवेदी

प्रतिवादी की ओर से– श्री शिवनाराण पुरोहित

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा वियोल पटवार क्षेत्र महाडी में वादीगण के खातेदारी की आराजी नम्बर 321 से 324 किता 4 कुल रकबा 4.00 बीघा भूमि स्थित है। उक्त आराजियात वादीगण के खातेदारी में होकर अपने पिता के समय से कब्जा भी वादीगण का ही चला आ रहा है। दिनांक 06.07.2016 को वादीगण उक्त भूमि में बुवाई करने गये तो प्रतिवादीगण

जिनका उक्त भूमि से कोई सरोकार नही होने के बावजुद भूमि वादीगण के साथ मारपीट करने पर आमादा हुए एवं बुवाई करने से रोक दिया। प्रतिवादीगण ताकत के बल पर वादीगण को उक्त आराजियात से बदेखल करने पर आमादा हो रहे है। तत्पश्चात दिनांक 26.07.2016 को प्रतिवादीगण द्वारा भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर दिया एवं वादीगण द्वारा बोई हुई फसलों को नष्ट कर दिया। प्रतिवादीगण को उक्त कृत्य करने का कोई कानूनी अधिकारी प्राप्त नही है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को उक्त कृत्य करने से रोका जाना नितान्त आवश्यक है। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात से हमारा कोई लेना–देना नही है। हमनें कभी भी वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नही की है। हम हमारी जमीन पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजियात के लिये वादीगण के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है, तो हमे कोई आपत्ती नही है। प्रकरण में ईकबालिया जवाब पेश होने से तनकियात कायम नही की गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य में कोई गवाह पेश नही करना चाहने से वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द की जाती है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा वियोल पटवार क्षेत्र महाडी के आराजी नम्बर 321 रकबा 1.16 बीघा, 322 रकबा 1.00 बीघा, 323 रकबा 0.15 बीघा, 324 रकबा 0.09 बीघा किता 04 कुल रकबा 4.00 बीघा भूमि में वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदाजी नही करने, भूमि से वादीगण को बेदखल नही करने एवं किसी प्रकार की बाधा या विघ्न पैदा नही करने बाबत् प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। एतनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल लाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ा उदयपुर